

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ.प्र./रो.क.स./2019/ 968

भोपाल, दिनांक 04/07/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
जिला चिकित्सालय, मध्यप्रदेश ।
3. अधीक्षक,  
सिविल अस्पताल बैरागढ़, के. एन. काटजू (भोपाल), जनसेवा रूग्णालय, इटारसी  
(होशंगाबाद) एवं रानी दुर्गावती, जबलपुर  
मध्य प्रदेश

विषय: निरामयम् योजना के तहत रोगी कल्याण समिति को प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश ।

संदर्भ: लोक स्वास्थ्य विभाग का पत्र क्रमांक एफ 12-07/2018/17/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 11.4.2019

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा निरामयम् योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि शासकीय चिकित्सालयों में उपचार होने पर सभी पैकेज के लिए निर्धारित राशि की 36 प्रतिशत राशि प्रत्येक त्रैमास में रोगी कल्याण समिति को उपलब्ध कराई जाएगी ।

2/ निरामयम् योजना के अन्तर्गत रोगी कल्याण समिति को प्राप्त राशि का उपयोग निम्न गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा:-

- क. राज्य बजट/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट से पर्याप्त आपूर्ति न होने पर:
  - i. इम्प्लान्ट्स
  - ii. कन्ज्युमेबल सामग्री, सर्जिकल स्टेपलर
  - iii. रिजेन्ट्स एवं किट्स
  - iv. आउटसोर्स पैथालॉजी/रेडियोलॉजी/सीटी स्केन/एमआरआई/पेट(PET) स्केन
  - v. विशेषज्ञ की सेवाएं
- ख. निरामयम् योजना के क्रियान्वय हेतु अस्पताल की व्यवस्था का सुदृढीकरण
- ग. कम्प्युटर एवं पेरिफेरल्स क्रय
- घ. ई-हास्पिटल प्रचालन
- ङ. प्रयोगशाला / शल्यक्रिया कक्ष का उन्नयन
- च. अस्पताल भवन में लघु निर्माण कार्य / सुधार कार्य
- छ. उपकरण क्रय
- ज. अन्य कार्य/क्रय जो संचालनालय द्वारा निर्देशित किया जाए ।

3/ रोगी कल्याण समिति से किसी भी गतिविधि पर व्यय से पूर्व रोगी कल्याण समिति दिशा निर्देश 2018 के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है।

4/ निरामयम् योजना के तहत रोगी कल्याण समिति से प्राप्त आय एवं किये गये व्यय के लिए पृथक से लेखा संधारण किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्यकारिणी समिति की बैठक में निरामयम् योजना के तहत संपादित प्रोसिजर्स तथा उससे प्राप्त आय एवं किये गये व्यय का विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5/ किसी भी स्थिति में कोई भी सामग्री/उपकरण क्रय अनावश्यक रूप से न किया जाए। आवश्यकता के समुचित आंकलन के पश्चात ही क्रय/कार्य किया जाए।  
(माननीय मंत्रीजी द्वारा अनुमोदित)

8/04/07

(नीतेश व्यास)

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ

0/0 मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 04/07/2019

पृ० क्रमांक/अ.प्र./रो.क.स./2019/ 969

प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ।

- 1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2/ समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 3/ मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
- 4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, निरामयम् योजना, आई.ई.सी.ब्यूरो, जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल।
- 5/ समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 6/ समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।

8/04/07

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ

0/0 मध्यप्रदेश